...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–184 / 2018 निर्णय दिनांक :– 13.02.2025

उनवानी दावा:

1. सीताराम पुत्र गुलाबचन्द उर्फ गुलाबा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गिर्राज पुत्र गुलाबचन्द उर्फ गुलाबा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. कमला पुत्री पुत्र गुलाबचन्द उर्फ गुलाबा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. मनभर पुत्री पुत्र गुलाबचन्द उर्फ गुलाबा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. बसन्ती बेवा पुत्र गुलाबचन्द उर्फ गुलाबा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. लाली पुत्री पुत्र गुलाबचन्द उर्फ गुलाबा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

--वादीगण–

बनाम

1. बजरंगा पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कैलाश पुत्री रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. प्रेम पुत्री रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. तुलसा पुत्री रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. सीता पुत्री रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. पारा पुत्री रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. भूली बेवा रूघा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. काली बेवा प्रभु जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. अजय पुत्र प्रभु नाबालिग जरिये संरक्षक माता काली बेवा प्रभु जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. विशाल पुत्र प्रभु नाबालिग जरिये संरक्षक माता काली बेवा प्रभु जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. आकाश पुत्र प्रभु नाबालिग जरिये संरक्षक माता काली बेवा प्रभु जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. प्रहलाद पुत्र जग्गा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. जगदीश पुत्र जग्गा जाति मीणा निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
14. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

13.2.25

...यति :—
आलोक कुमार शर्मा
...धिवक्ता वादीगण

श्री बाबूलाल मीणा
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 व 13
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 व 7 ता 12

दावा बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 25.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से क्रमांक 634 दिनांक14.02.2024 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 634 दिनांक 14.02.2024 का अधिवक्ता उभयपक्ष ने अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने क्रमांक 634 दिनांक 14.02.2024 कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र बाबत दुबारा मंगवाये जाने कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया जो शा. मि. है, जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी से जवाब लिया गया जो शामिल मिसल है। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 634 दिनांक 14.02.2024 खारिज की गई।

तहसीलदार दूनी को क्रमांक 298 दिनांक 23.03.24 से नियमानुसार पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु पत्र लिखा गया।

न्यायालय के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में तहसीलदार दूनी से क्रमांक 2183 दिनांक 31.05.24 से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष ने पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन कियाा। अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपति नहीं की। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपति की।

आपति को स्वीकार कर तहसीलदार दूनी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 2183 दिनांक 31.05.24 को खारिज किया गया।

13.2.25

तहसीलदार दूनी को क्रमांक 621 दिनांक 12.06.24 से नियमानुसार व ...क खसरा नम्बर पर रास्ते की पहुंच को ध्यान में रखते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु पत्र लिखा गया।

न्यायालय के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 621 दिनांक 12.06.24 के संदर्भ में तहसीलदार दूनी से क्रमांक 3525 दिनांक 29.07.24 से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली में बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने क्रमांक 3525 दिनांक 29.07.24 से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपति नहीं की।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने आदेशिका पर लिखा कि कुर्रेजात रिपोर्ट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बनायी गई है। पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे।

अधिवक्ता वादी ने रिब्टल में कथन किया प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल हुए है। प्रतिवादीगण बंटवारा नहीं होने देना चाहते है। अतः न्यायहित में वाद स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। प्रतिवादीगण का उद्देश्य पत्रावली को लम्बित करना प्रकट होता है।

अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम जलेरी पटवार हल्का देवड़ावास भू. अभि. नि. क्षैत्र देवड़ावास तहसील दूनी के हाल खाता संख्या 120 ख. नं. 223 रकबा 0.97 है0, ख. नं. 224 रकबा 0.29 है0, ख. नं. 225 रकबा 0.36 है, ख. नं. 247 रकबा 0.01 है0 गै मु. चाह, ख. नं. 248 रकबा 0.74 है0. ख. नं. 249 रकबा 0.46 है0, ख. नं. 250 रकबा 0.27 है0, ख. नं. 255 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 256 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह ख. नं. 257 रकबा 0.16 है0, ख नं. 263 रकबा 0.11 है0, ख. नं. 264 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 265 रकबा 0.34 है0, ख नं 266 रकबा 0.24 है0, ख. नं. 267 रकबा 0.40 है0, ख. नं. 268 रकबा 0.13 है0, ख. नं. 269 रकबा 0.12 है0. ख. नं. 270 रकबा 0.01 है0 गे. मु. चाह ख. नं. 271 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 294 रकबा 0.62 है0, ख. नं. 297

13.2.25

0.58 है0, ख. नं. 298 रवा 0.36 है0 कुल किला – 22 कुल रकबा 6.51 है0 राजस्व रिकार्ड है। तद्नुसार अन्तिम ड्रिकी जारी हो। ....

तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम जलेरी पटवार हल्का देवड़ावास भू. अभि. क्षैत्र देवड़ावास तहसील दूनी के खाता संख्या 120 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	1. कमला पुत्र गुलाबा हि. 1/12 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) टोंक जिला सहकारी भूमि वि. बैंक लि. शाखा देवली 2. गिर्राज पुत्र गुलाबा हि. 1/12 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) टोंक जिला सहकारी भूमि वि. बैंक लि. शाखा देवली 3. बसन्ती पत्नी गुलाबा हि. 1/12 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) टोंक जिला सहकारी भूमि वि. बैंक लि. शाखा देवली 4. मनभर पुत्री गुलाबा हि. 1/12 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) टोंक जिला सहकारी भूमि वि. बैंक लि. शाखा देवली 5. लाली पुत्री गुलाबा हि. 1/12 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 6. सीताराम पुत्र गुलाबचन्द 7/12 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) टोंक जिला सहकारी भूमि वि. बैंक लि. शाखा देवली	225	0.36	1.44
		223	0.61	2.44
		297	0.58	19.14
		298	0.36	1.44
		255	0.14	4.62
		267	0.40	13.20
		248	0.74	24.42
	कुल योग	किता 7	3.19	66.70
2	1. कैलाशी पुत्री रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 2. गोपाल पुत्र जग्गा हि. 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार 3. तुलसा पुत्री रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 4. प्रभु पुत्र रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 5. प्रेम पुत्री रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 6. प्रहलाद पुत्र जग्गा हि. 1/5 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दूनी 7. पारा पुत्री रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 8. बजरंगा पुत्र रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 9. भूली पत्नी रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी 10. जगदीश पुत्र जग्गा हि. 1/5 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) बी.आर.के.जी.बी शाखा देवड़ावास	223	0.36	1.44
		224	0.29	1.16
		294	0.62	20.46
		265	0.34	11.22
		266	0.24	7.92
		268	0.13	4.29
		269	0.12	3.96
		249	0.46	15.18
		250	0.27	8.91
		271	0.10	0.80
		263	0.11	0.06
		257	0.16	5.28

13.2.25

	11. सीता पुत्री रूघा हि. 1/16 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल कॉप. बैंक लि. शाखा दूनी			
	कुल	किता 12	3.20	80.68
	सामलाती खाते	247	0.01	—
		256	0.01	—
		264	0.04	—
		270	0.01	—
		271	0.05	—
	योग	किता 5	0.12	0.40

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि से वादीगण की भूमि पर कुंआ नही खोदे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में मजामहत नहीं करे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.02.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली